बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2024-25

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

का

वार्षिक प्रतिवेदन

2024-2025

संदेश

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। गन्ना एक नगदी फसल है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। गन्ने की खेती कर किसान धान–गेहूँ फसल की तुलना में अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में गन्ना की खेती लगभग 2.37 लाख हेक्टेयर में होता है। वर्त्तमान परिवेश में गन्ने की खेती पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य रूप से की जाती है। गुड़ उत्पादन हेतु अन्य जिलों में भी कमोवेश गन्ने की खेती की जाती है। बाजार में गन्ना रस की मांग भी बढ़ रहा है। इसके लिए भी किसान गन्ना की खेती कर रहे हैं। गन्ना आधारित उद्योगों से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होता है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। साथ ही चीनी उद्योग के सह उत्पाद से इथेनॉल एवं विद्युत उत्पादन भी राज्य में किया जा रहा है एवं इस क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनायें है। गैर चीनी मिल क्षेत्रों में भी गुड़ उत्पादन ग्रामीण आय का एक मुख्य स्रोत है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन राज्य सरकार द्वारा गन्ना की खेती एवं गन्ना आधारित उद्योग को बढ़ावा दे रही है।

मुझे खुशी है कि चार सालों से बंद रीगा चीनी मिल का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। वर्ष 2024–25 पेराई सत्र में रीगा चीनी मिल द्वारा 749000 क्विंटल से अधिक गन्ना की पेराई की गई है। इस चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के बीच काफी खुशी का माहौल है।

वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना की खरीद मूल्य पर 20 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में वर्धित मूल्य में से 10 रूपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

वार्षिक प्रतिवेदन में विभाग के कार्यकलापों के संबंध में संक्षिप्त सूचना संकलित रूप में प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है कि गन्ना किसानों के उत्साह एवं राज्य सरकार की नीतियों के फलस्वरूप गन्ना आधारित उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा राज्य में नये निवेश का वातावरण तैयार होगा।

(कृष्णनंदन पासवान)

प्रस्तावना

बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य की 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर है। गन्ना राज्य की प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना की खेती से किसानों की आमदनी में वृद्धि होती है। राज्य में गन्ना की खेती के विकास की प्रचुर सम्भावनाएं विद्यमान हैं। चीनी एवं उसके अनुषंगी उद्योग ,विशेष कर इथेनाल एवं विद्युत सह–उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के काफी अवसर हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गन्ना आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

चीनी उद्योग : बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में बिहार में चीनी उद्योग आरम्भ हुआ था। चीनी उद्योग, राज्य का कृषि आधारित पुराना एवं महत्वपूर्ण उद्योग है। ईख बिहार का एक प्रमुख नगदी फसल है। ईख उत्पादन पर ही चीनी उद्योग का विकास एवं भविष्य निर्भर है। 1904 ई॰ से लेकर 1940 ई॰ के बीच, राज्य में कुल 33 चीनी मिलें स्थापित हुई थी। राज्य की 28 चीनी मिलों में से 18 चीनी मिलें पूर्णतः रूग्ण होकर बन्द है। निजी क्षेत्र की 01 चीनी मिल सासामुसा विगत चार पेराई वर्षों से परिचालित नहीं हुई है। वर्तमान में निजी क्षेत्र की 08 चीनी मिलें एवं सार्वजनिक क्षेत्र (भारत सरकार का उपक्रम) की 02 चीनी मिलें लौरिया एवं सुगौली एच॰पी॰सी॰एल॰ बॉयोफ्यूल्स लि॰ के अधीन कार्यरत हैं। विगत चार वर्षों से बंद पड़े रीगा चीनी मिल को निराणी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है और चालू पेराई सत्र 2024–25 से इसका पुनः परिचालन कर दिया गया है। 18 रूग्ण चीनी मिलों में से 15 चीनी मिलें बिहार राज्य चीनी निगम लि0, पटना के अधीन एवं 03 चीनी मिलें भारत सरकार की उपक्रम बी0आई0सी0 ग्रुप की थी। बी0आई0सी0 ग्रुप की इकाई बारा चकिया एवं चनपटिया का मामला माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लंबित है, जबकि एक इकाई मढ़ौरा का मामला नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलाकाता, बेंच में लंबित है। बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की शेष बची 08 (आठ) इकाईयों यथा हथुआ (डिस्टीलरी सहित) वारिसलीगंज, गुरारू, गोरौल, सिवान, न्यू सावन, लोहट, बनमंखी एवं उपलब्ध अतिरिक्त फार्म लैण्ड कुल 2442.41 एकड़ भूमि को सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

गन्ना आधारित उद्योग में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 2006 में एक प्रोत्साहन योजना घोषित किया गया। इस प्रोत्साहन योजना में नये चीनी मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना तथा स्थापित चीनी मिलों की क्षमता विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, रियायतें, प्रतिपूर्त्ति एवं अनुदान के प्रावधान किये गये हैं।

बिहार राज्य चीनी निगम की 15 बन्द चीनी मिलों एवं दो डिस्टीलरियों को सरकार के निर्णयानुसार पुनर्जीवित करने के उद्‌देश्य से एस०बी०आई० कैप्स को वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया। एस०बी०आई० कैप्स से प्राप्त डायग्नोस्टिक स्टडी, ऐसेट भैलुऐशन एवं फिजिविलिटी प्रतिवेदन के आधार पर कुल पांच निविदाऐं आमंत्रित करने की कार्रवाई सम्पन्न की गई है। इन निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य चीनी निगम लि० की 7 इकाइयों यथा लौरिया (डिस्टीलरी सहित) एवं सुगौली इकाई एच०पी०सी०एल० बॉयोफ्यूयेल्स को, मोतीपुर इकाई इंडियन पोटाश लिमिटेड को, बिहटा ईकाई प्रिस्टाईन मगध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० को एवं समस्तीपुर इकाई विनसम इन्टरनेशनल लि०, कोलकाता को हंस्तातरित किया गया। द्वितीय निविदा प्रक्रिया के फलाफल के आधार पर रैयाम एवं सकरी इकाई मे० तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि० को हस्तांतरित की गयी। लीज डीड की शर्तों

को पूरा नहीं करने के कारण उक्त दोनों इकाई हेतु निवेशक से किये गये एकरारनामा को रद्द कर दिया गया है। तृतीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मोतीपुर इकाई मे० इंडियन पोटाश लि० को तथा बिहटा इकाई प्रिस्टाईन मगध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० को हस्तांरित किया गया। वर्तमान में उक्त दोनों इकाई का मामला माननीय न्यायालय में लंबित है। बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की शेष बची 08 (आठ) इकाइयों यथा हथुआ (डिस्टीलरी सहित) वारिसलीगंज, गुरारू, गोरौल, सिवान, न्यू सावन, लोहट, बनमंखी एवं उपलब्ध अतिरिक्त फार्म लैण्ड कुल 2442.41 एकड़ भूमि को सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के प्रयास के साथ–साथ कार्यरत चीनी मिल के क्षमता विस्तार एवं नयी चीनी मिल की स्थापना की दिशा में भी विभाग द्वारा कारगर कदम उठाये गये हैं। यह स्वतः परिलक्षित करता है कि बदले परिवेश में अनुकूल वातावरण तैयार होते ही निवेशक इस ओर आकर्षित होने लगे हैं। इस क्रम में पिछले चार वर्षो से बंद पड़ी रीगा चीनी मिल, सीतामढ़ी को मेसर्स निरानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण कर वर्तमान पेराई सत्र 2024–25 में पुनः परिचालन कर दिया गया है। हरिनगर चीनी मिल द्वारा अपनी डिस्टीलरी क्षमता को 140 KLPD से 165 KLPD विस्तारित किया गया है, जिसे 200 KLPD तक क्षमता का विस्तारित किये जाने की कार्य योजना है। मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० इकाई–न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज द्वारा अपने पेराई क्षमता को 7500 TCD से 10000 TCD तक विस्तारित किया है तथा तिरूपति सुगर मिल्स, बगहा द्वारा अपने पेराई क्षमता को 8000 TCD से 10000 TCD तक विस्तारित किया जा रहा है। राज्य में शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर पूर्णरूप से रोक लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में राज्य के डिस्टीलरियों को सम्पूर्ण छोआ से इथेनॉल का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति–2011 के तर्ज पर संशोधित प्रोत्साहन पैकेज–2014 की घोषणा की गई हैं। इसके अंतर्गत न्यूनतम 2500 TCD की नयी चीनी मिल की स्थापना तथा कार्यरत चीनी मिल का न्यूनतम 1500 TCD से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूंजी निवेश पर 20 प्रतिशत अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी। इसी प्रकार न्यूनतम 30 KLPD की क्षमता की नयी डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना तथा कार्यरत डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई का न्यूनतम 15 KLPD से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूँजी निवेश पर 20 प्रतिशत अनुदान या 5 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी। इसी प्रकार 10 मेगावाट की नयी सह–विद्युत इकाई की स्थापना तथा कार्यरत सह–विद्युत उत्पादन इकाई न्यूनतम 5 मेगावाट से क्षमता विस्तार पर अचल पूंजी निवेश पर 20 प्रतिशत अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

राज्य सरकार का यह प्रयास रहा है कि किसानों को उनके गन्ने का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये आवश्यक पहल के आलोक में ही चालू पेराई सत्र 2024–25 के लिए ईख के गैर अनुशंसित प्रभेद के लिए 310 रू०/क्विंटल, सामान्य प्रभेद के लिए 345 रू०/क्विंटल एवं उत्तम प्रभेद के लिए 365 रू०/क्विंटल के दर की घोषणा की गयी है।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा की गयी घोषणा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 से ईख मूल्य की दर में तीनों प्रभेदों में 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि

की गयी है। वर्द्धित राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि के पश्चात् पेराई सत्र 2024–25 में ईख मूल्य का दर निम्नवत् है :–

उत्तम प्रभेद	–	375/– रूपये प्रति क्विंटल
सामान्य प्रभेद	–	355/– रूपये प्रति क्विंटल
निम्न प्रभेद	–	320/– रूपये प्रति क्विंटल

इस प्रकार ईख मूल्य में 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि के फलस्वरूप गन्ना कृषकों को पिछले वर्ष की तुलना में 20 (बीस) रू० प्रति क्विंटल की दर से अधिक गन्ना का मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

पेराई सत्र 2023–24 अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा शत–प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

वर्ष 2024–25 में गन्ना किसानों के हित में चलायी जा रही योजनाएँ –

1. **मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम–** वर्ष 2024–2025 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम पर 2660.00 लाख रू0 व्यय का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत कार्यमदों का प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है–

1.1 प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम – प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा के साथ एकरारनामा किया गया है। वैज्ञानिक संस्थानों के द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन के लिए राज्य सरकार 2.50 लाख रू० प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा रही है।

1.2 आधार बीज उत्पादन अनुदान – राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से क्रय किए गए प्रजनक बीज से चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले चीनी मिलों एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK)/कृषकों को 60,000/– रू० प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। चीनी मिल अपने अथवा लीज पर लिए गए प्रक्षेत्र पर आधार बीज उत्पादन करेगें। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र में लगाए गए आधार बीज का पर्यवेक्षण संबंधित के०भी०के० के वैज्ञानिकों द्वारा कराना आवश्यक होगा। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र के किसान को आधार बीज का प्रमाणिकरण बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) से कराना अनिवार्य होगा। प्रोत्साहन अनुदान राशि का भुगतान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा CFMS के माध्यम से किया जाएगा।

1.3 प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम – प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का उत्पादन किये हो) को 50/– रू० प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रोत्साहन राशि उन्हें ही देय होगा जिनके नाम से LIR (Last Inspection Report) निर्गत होगा। इसकी जांच कर ही संबंधित चीनी मिल प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को सूची आवश्यक कागजात के साथ अग्रसारित करेंगें। चयनित प्रभेदों के उत्पादित बीज को बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी से निबंधन कराना आवश्यक होगा। प्रगतिशील कृषकों द्वारा उत्पादित बीज का निबंधन किसी भी स्थिति में चीनी मिल अपने नाम से नहीं करायेगें तथा चीनी मिल अपने माध्यम से बीज उत्पादक द्वारा उत्पादित बीज का वितरण करायेंगे। चीनी मिल प्रमाणित बीज वितरण के विपत्र प्रस्तुत करते समय बीज प्राप्ति का स्रोत एवं मात्रा की सूची भी सहायक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे। किसानों द्वारा बीज क्रय हेतु बीज का मूल्य वही होगा जो चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय हेतु निर्धारित है।

1.4 गन्ना के चयनित प्रभेद के बीजों का अनुदानित दर पर वितरण –राज्य के लिए चयनित गन्ना के 10 प्रभेदों यथा– CO-0238 CO -011 CO -98014, COP - 9301 CoP -112, CoP -16437 (Rajendra Ganna -I), COLK - 94184, CoLK-12207, CoLK-12209 एवं Bo-153 के निबंधित प्रमाणित बीज

चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किया जाएगा। निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य वर्ग के किसानों को 210/– रू0 प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 240/– रू0 प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय है। प्रमाणित बीज का बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी से प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रमाणित बीज का वितरण किसानों के बीच चीनी मिल क्षेत्र में मिल प्रबंधन एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा किया जायेगा। इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Online Portal के माध्यम से किये जाने हेतु केन केयर साफ्टवेयर को विकसित किया गया है। केन केयर साफ्टवेयर (ccs.bihar.gov.in) के माध्यम से निर्धारित अवधि में प्रमाणित गन्ना बीज वितरण कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। इस योजनांतर्गत छोटे/सीमान्त एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। एक गन्ना कृषक को अधिकतम 2.50 एकड़ में लगाये गये गन्ने पर ही अनुदान राशि देय होगी।

.

1.5 गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/राई/सरसों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान – गन्ना के साथ मसूर/राई/सरसों के प्रमाणित बीज से की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू० प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों/लाभार्थी को अधिकतम 01 (एक) एकड़ के लिए देय होगा। गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती हेतु मसूर/राई/सरसों का प्रमाणित बीज बिहार राज्य बीज निगम (BRBN)/कृषि विज्ञान केन्द्र/राज्य के कृषि विश्वविघालय/राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) के माध्यम से चीनी मिलों को उपलब्ध कराया जाएगा।

1.6 गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक/फफूंदनाशक रसायन के प्रयोग पर गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान – गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक/फफूंदनाशक रसायन के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू० प्रति हे० के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ (01 हेक्टेयर) के लिए देय होगा। योजना स्वीकृति के पूर्व एवं उपरांत यानि पूरे वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) के अन्दर कीटनाशक दवा का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से करने पर जी0एस0टी0 युक्त अभिश्रव पर अनुदान अनुमान्य होगा।

1.7 कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान – कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू० प्रति क्वी0 (25 क्वीं० प्रति हे०) यानि 3750 रू० प्रति हे० के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए देय होगा। कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से प्राप्त जी०एस०टी० युक्त अभिश्रव पर ही अनुदान अनुमान्य होगा।

1.8 बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण – इस योजना का मुख्य उद्देश्य यथा– बीज दर में कमी, अंकुरण की क्षमता में वृद्धि, कल्ला एवं पेराई योग्य गन्नों की संख्या में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, खेती की लागत में कमी एवं आमदनी में वृद्धि करना है। बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण 10000 पौध प्रति एकड़ अधिकतम 15,000 रू० प्रति प्रत्यक्षण के दर से राशि का प्रावधान किया गया है।

1.9 SRI, Pusaद्वारा " Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS) " के कार्यान्वयन हेतु द्वितीय वर्ष के लिए राशि – ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा उनके पत्रांक–47 दिनांक–25.05.2024 के माध्यम से "Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS)" के कार्यान्वयन हेतु समर्पित प्रस्ताव के आलोक में कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा गन्ना की खेती करने वाले कृषकों को खूँटी प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, अंतरवर्ती खेती एवं नवीनतम तकनीक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि गन्ना का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। उप निदेशक, ईख विकास, पूसा

द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। कार्योपरांत इसका व्यय एवं फलाफल प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा उप निदेशक, ईख विकास, पूसा को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अनुश्रवण का पूर्ण दायित्व उप निदेशक, ईख विकास, पूसा का होगा। इसका पर्यवेक्षण ईखायुक्त, बिहार द्वारा नामित विभागीय पदाधिकारी के द्वारा भी किया जाएगा।

1.10 NIC, Patna द्वारा विकसित किए जा रहे "Design & Development of Sugarcane Management Portal" के Maintanance & Add-on Services हेतु प्रावधानित राशि – NIC, Patna के द्वारा विकसित किए जा रहे "Design & Development of Sugarcane Management Portal" के Maintanance & Add-on Services हेतु इस वित्तीय वर्ष में 78.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

1.11 एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला – गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती की जानकारी के साथ उनके बौद्धिक संवर्द्धन हेतु 12 एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित किया जाना प्रावधानित है, जिसके लिए प्रति सेमिनार 05.00 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है। राज्यस्तरीय सेमिनार एकदिवसीय होगा। सेमिनार का आयोजन सरकार द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा।

1.12 विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण – उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु समन्वयक पदाधिकारी होंगे। भ्रमण का स्थलों, यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में यथानिदेशित संस्थान से समन्वय कर भ्रमण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर ईखायुक्त, बिहार को उपलब्ध करायेगें तथा समर्पित प्रस्ताव पर संयुक्त निदेशक, ईख विकास के द्वारा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु कुल 25.00 लाख रू० प्रावधानित है। इस राशि की निकासी उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा किया जाएगा एवं संबंधित को CFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

1.13 प्रगतिशील गन्ना कृषकों का (20 किसानों का दल) 7–10 दिवस के लिए राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण – उप निदेशक, ईख विकास, पटना, मोतिहारी एवं पूसा प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त एक कर्मी उप निदेशक, ईख विकास के सहयोग एवं किसानों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु प्रत्येक कृषक दल के साथ प्रशिक्षण स्थल तक जाएंगे। कर्मियों के यात्रा पर हुए व्यय का भुगतान योजना की बचत राशि से अथवा बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत् किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थलों, यथा– VSI, Pune/SB Coimbatore/SB Karnal/SBI Seorahi/NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी एवं पूसा अपने–अपने क्षेत्रांर्गत चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के प्रगतिशील गन्ना कृषकों तथा उप निदेशक, ईख विकास, पटना अपने क्षेत्रांर्गत प्रगतिशील गन्ना किसानों के अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगें एवं उसपर ईखायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। प्रगतिशील किसान का चयन संबंधित चीनी मिल एवं उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी/पूसा द्वारा संयुक्त रूप से तथा उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा। 20 किसानों का दल के 7–10 दिवस के लिए 20 एक्सपोजर विजिट हेतु कुल 60.00 लाख रू० राशि प्रावधानित है।

1.14 **40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण –** 40 गन्ना कृषकों के लिए 10,000 रू०/प्रशिक्षण की दर से कुल 500 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं मोतीपुर के वैज्ञानिक/के०भी०के० के वैज्ञानिक/गन्ना उद्योग के पदाधिकारियों/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ कृषि समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण को संबद्ध कर एक साथ कराया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चीनी मिल एवं संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा संयुक्त रूप से कराया जाएगा। गैर चीनी मिल क्षेत्र के सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा स्वयं/के०भी०के० के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया जा सकेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसानों को मोबाइल नंबर के साथ, स्व–प्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।

2. **ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना–** वर्ष 2024–2025 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना पर 115.00 लाख रू0 व्यय का प्रावधान किया गया है।
3. **बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम–** चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में गुड़ प्रोत्साहन योजना के तहत् कुल 81 गुड़ इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना पर 1240.00 लाख रू0 व्यय का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार में प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, मूल्य संवर्द्धन और अन्य संबद्ध सहयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर गन्ने क्षेत्र को प्रोत्साहित और सवंर्द्धित करना ताकि किसानों को उच्चतर रिटर्न दिया जा सके और रोजगार के अधिक अवसरों को पैदा करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत वर्ष 2024–25 में इस योजना का कार्यान्वयन कुल 1240.00 लाख रू0 की लागत पर कराया जा रहा है। इसके तहत् पेराई सत्र 2024–25 के लिए विभिन्न क्षमताओं के कुल 81 गुड़ इकाई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
4. **" गन्ना यंत्रिकरण योजना "**

राज्य के गन्ना किसानों के हित में पहली बार गन्ना यंत्रिकरण योजना का कार्यान्वयन कुल 984.993 लाख रू0 की लागत पर गन्ना उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है ताकि किसानों के गन्ना उत्पादन की लागत में कमी हो तथा उत्पादकता में वृद्धि के साथ चीनी रिकवरी में भी वृद्धि हो।

इस योजनांतर्गत व्यक्तिगत किसानों को निम्न यंत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसमें सामान्य श्रेणी के किसानों को निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के व्यक्तिगत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत् आवेदक किसान अधिकतम तीन यंत्र पर अनुदान की पात्रता रखेगें।

यंत्र का नाम	यंत्र का अनुमानित मूल्य (रू0 में)	अनुदान की राशि (रू0 में)
रैटून मैनेजमेंट डिवाईस	1,20,000/–	60,000/–
सुगरकेन कटर प्लान्टर	65,000/–	32,500/–
सेट ट्रिटमेंट डिवाईस	85,000/–	42,500/–
ईंजन ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर	20,000/–	10,000/–
ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर	95,000/–	47,500/–
ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीजर/रिंग पिट डिगर/ट्रैंच ओपनर	25,000/–	12,500/–
सिंगल बड कटर मैनुयल	3000/–	1500/–

सिंगल बड कटर पावर ऑपरेटेड	50,000/–	25,000/–
डीजल ईंजन/विद्युत मोटर चालित सुगरकेन जूसर मशीन (ठेला सहित)	70,000/–	35,000/–
हस्तचालित यंत्र किट (पलकट्‌टी एवं डिट्रैसर)	700/–	350/–
लैण्ड लेवलर	15000/–	7500/–
पावर विडर	80,000/–	40,000/–

5.

नोट– अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के व्यक्तिगत किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय होगा।

इस योजनांतर्गत समूह यथा पैक्स, चीनी मिल, जीविका, एफ0पी0ओ0 इत्यादि को गन्ना यंत्र बैंक की स्थापना हेतु निर्धारित मूल्य का 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। समूह अंतर्गत यंत्रों के तीन समूह निर्धारित है। इस समूह अंतर्गत निर्धारित यंत्रों की सूची अंतर्गत सभी यंत्रों का क्रय आवश्यक होगा। समूहवार यंत्रों की सूची निम्नवत् है–

समूह 1	**समूह 2**	**समूह 3**
एम0बी0 प्लाउ	एम0बी0 प्लाउ	एम0बी0 प्लाउ
कल्टीभेटर (9 टाईन)	कल्टीभेटर (9 टाईन)	कल्टीभेटर (9 टाईन)
रैटून मैनेजमेंट डिवाईस	रैटून मैनेजमेंट डिवाईस	रैटून मैनेजमेंट डिवाईस
सेट ट्रिटमेंट डिवाईस	सेट ट्रिटमेंट डिवाईस	सेट ट्रिटमेंट डिवाईस
सुगरकेन कटर प्लान्टर	सुगरकेन कटर प्लान्टर	सुगरकेन कटर प्लान्टर
ईंजन ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर	ईंजन ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर	ईंजन ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर
ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर	ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर	ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर
ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीजर/रिंग पिट डिगर/ट्रैंच ओपनर	ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीजर/रिंग पिट डिगर/ट्रेंच ओपनर	ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीजर/रिंग पिट डिगर/ट्रेंच ओपनर
सिंगल बड कटर मैनुयल	सिंगल बड कटर मैनुयल	सिंगल बड कटर मैनुयल
सिंगल बड कटर पावर ऑपरेटेड	सिंगल बड कटर पावर ऑपरेटेड	सिंगल बड कटर पावर ऑपरेटेड
डिस्क हैरो	डिस्क हैरो	डिस्क हैरो
ट्रैक्टर ट्राली (हाईड्रोलिक)	ट्रैक्टर ट्राली (हाईड्रोलिक)	ट्रैक्टर ट्राली (हाईड्रोलिक)
पावर विडर	पावर विडर	पावर विडर
	ट्रैक्टर माउन्टेड सुगरकेन हारवेस्टर	ट्रैक्टर माउन्टेड सुगरकेन हारवेस्टर
	ट्रैक्टर सहित लैण्ड लेजर लेवलर	ट्रैक्टर सहित लैण्ड लेजर लेवलर
		स्वचालित सुगरकेन हारवेस्टर
कुल अनुमानित मूल्य **11,55,000/– रू0** अनुदान राशि (70 प्रतिशत) – **8,08,500/– रू0**	कुल अनुमानित मूल्य **33,55,000/– रू0** अनुदान राशि (70 प्रतिशत) – **23,48,500/– रू0**	कुल अनुमानित मूल्य **1,29,55,000/– रू0** अनुदान राशि (70 प्रतिशत) – **90,68,500/– रू0**

ईच्छुक गन्ना किसान इस योजना का लाभ लेने हेतु केन केयर पोर्टल (ccs.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों को देय है।

प्रमुख चुनौतियाँ :

1. जल जमाव की समस्या : गन्ना एक वार्षिक फसल है। राज्य में गन्ना के लगभग 10 से 15 प्रतिशत क्षेत्रों में 3 से 4 महीना तक जल जमाव की समस्या बनी रहती है। इन जल–जमाव वाले क्षेत्रों में गन्ना की खेती होने के कारण न केवल उपज बल्कि गन्ने की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के निदान हेतु चतुर्थ कृषि रोड मैप में जल संसाधन विभाग को गन्ने आच्दादित क्षेत्रों का सर्वे कराकर कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग नामित किया गया है।

2. सिंचाई सुविधा का अभाव : गन्ना एकवर्षीय फसल होने के कारण लगभग सभी मौसमों से गुजरना पड़ता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन मौसम गन्ने की बढ़वार में अत्यधिक प्रभावित होती है। गन्ने की फसल में लगभग 5–6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्त्तमान में राज्य अन्तर्गत सीमित गन्ना क्षेत्र में ही सिचाई सुविधा उपलब्ध है। इन सिंचाई क्षेत्र में भी औसतन 1 – 2 सिंचाई ही उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि अप्रील माह से नहरों में डिसिल्टिंग का कार्य किया जाता है, जिससे ग्रीष्मकालीन माहों में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। जबकि इन माहों में गन्ने में सिंचाई की नितान्त आवश्यकता होती है।

4. उन्नतशील प्रभेदों का अभाव : राज्य में अधिक उपज देने वाली गन्ना के प्रभेद का अभाव है। विभाग द्वारा इस दिशा में ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, चीनी मिल एवं बीज उत्पादक किसानों से समन्वय कर प्रजनक, आधार बीज तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित कर उन्न्तशील गन्ना के चयनित प्रभेदों के विस्तार का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत किसानों को अनुदानित दर पर अधिक ऊपजशील चयनित गन्ना प्रभेद के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

5. तकनीकी जानकारी एवं प्रचार प्रसार : गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना के वैज्ञानिक खेती, कीट एवं रोग– व्याधि नियंत्रण, उन्नत कृषि यंत्र, जैविक खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी एवं नये–नये किस्मों की अद्यतन जानकारी के अभाव का भी गन्ना की उत्पादकता पर असर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षो से विभाग द्वारा इस दिशा में ठोस प्रयास किया जा रहा है। गन्ना किसानों एवं चीनी मिल के ईख विकास पदाधिकारियों के तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु एकदिवसीय प्रशिक्षण एवं राज्यस्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया है। साथ ही गन्ना किसानों को राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु भी भेजा जा रहा है।

6. ईख अनुसंधान एवं विकास :

किसी भी फसल के समुचित विकास में "अनुसंधान" अत्यंत महत्वपूर्ण है। गन्ना अनुसंधान के क्षेत्र में, राज्य में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर को प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। संस्थानों द्वारा प्रजनक बीज का उत्पादन किया जाता है, जिसे राज्य के चीनी मिलों एवं किसानों को आधार बीज उत्पादन हेतु वितरित किया जा रहा है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

1. राज्य में चालू चीनी मिलों की प्रगति :

पेराई सत्र 2023–24 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा 677.20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए औसतन 10.16 प्रतिशत रिकवरी के साथ कुल 68.77 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। चालू पेराई वर्ष 2024–25 में कुल 10 चीनी मिलों द्वारा दिनांक–31.01.2025 तक 448.42 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गयी है। औसतन अबतक 75 दिन मिलें चली एवं 9.13 प्रतिशत रिकवरी से कुल 40.92 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :–

पेराई वर्ष 2024–2025 अन्तर्गत दिनांक–31.01.2025 तक चीनी मिलों में गन्ना पेराई प्रगति की स्थिति

(आंकड़े लाख क्वींटल में)

क्र0सं0	चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम	स्थापना वर्ष	पेराई ईख क्षमता टी0सी0डी0	पेराई की गई ईख की मात्रा	चीनी उत्पादन की मात्रा	रिकवरी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	बगहा	1936	8000	74.74	7.37	9.98
2	हरिनगर	1933	11500	90.90	9.23	10.34
3	नरकटियागंज	1932	10000	67.85	6.03	10.45
4	मझौलिया	1933	5000	39.63	3.16	8.24
5	गोपालगंज	1932	5000	35.06	3.31	9.55
6	सिधवलिया	1932	5000	39.50	3.05	9.80
7	हसनपुर	1934	6500	42.93	3.96	9.35
8	लौरिया	1905	3500	26.36	2.35	9.03

9	सुगौली	1934	3500	27.84	2.34	8.86
10	रीगा	1933	5000	3.61	0.12	-
योग :–			**63000**	**448.42**	**40.92**	**9.13**

हरिनगर चीनी मिल– पेराई क्षमता को 10000 टी॰सी॰डी॰ से विस्तारित कर 11500 टी॰सी॰डी॰ तथा डिस्टीलरी क्षमता 140 के॰एल॰पी॰डी॰ से 165 के॰एल॰पी॰डी॰ विस्तारित किया गया है।

मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० इकाई–नरकटियागंज चीनी मिल– पेराई क्षमता को 7500 टी॰सी॰डी॰ से विस्तारित कर 10000 टी॰सी॰डी॰ कर दिया गया है।

मेसर्स तिरूपति सुगर मिल्स, बगहा– पेराई क्षमता 8000 टी॰सी॰डी॰ से बढ़ाकर 10000 टी॰सी॰डी॰ किया जा रहा है।

चालू चीनी मिलों में चीनी मिलों द्वारा विगत सात वर्षों में किए गए गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन एवं रिकवरी की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	पेराई सत्र	पेरी गई गन्ने की मात्रा (लाख क्वींटल में)	चीनी उत्पादन (लाख क्वींटल में)	रिकवरी प्रतिशत %
1	2	3	4	5
01.	2017-18	747.89	71.54	9.57
02.	2018-19	810.17	84.02	10.37
03.	2019-20	674.05	72.29	10.72
04.	2020-21	460.20	46.22	10.04
05.	2021-22	473.09	45.60	9.64 (with BH) 10.84 (without BH)
06	2022-23	662.96	62.74	9.46 (with BH) 10.72 (without BH)
07.	2023-24	677.20	68.77	10.16 (with BH) 10.77 (without BH)

चालू चीनी मिलों में चीनी मिलों द्वारा विगत छः वर्षों में किए गए चीनी मिलों की डिस्टीलरी क्षमता एवं वर्षवार इथनॉल के उत्पादन की विवरणी :–

क्र० सं०	चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम	क्षमता (KLPD)	वर्ष 2019–20 (KL में)	वर्ष 2020–21 (KL में)	वर्ष 2021–22 (KL में)	वर्ष 2022–23 (KL में)	वर्ष 2023–24 (KL में)	वर्ष 2024–25 (KL में) (दिनांक–31.01.2025 तक)
1	2	3	5	6	7	8	9	9
01.	हरिनगर	165	28957.72	25594.40	22670.00	35043.16	2985102	8085.00
02.	नरकटियागंज	60	19695.01	15243.52	20900.24	23838.71	23032.23	6440.50
03.	मझौलिया	60	12847.17	2069.28	8981.38	10695.24	11548.43	1440.20
04.	लौरिया	60	2460.03	3450.01	4805.00	7670.01	8306.01	3958.83
05.	सुगौली	60	3165.50	3725.00	4438.55	7297.07	8170.44	4051.50
06.	रीगा	50	370.07	-	-	0.00	-	-
07.	सिधवलिया	75	12527.84	7493.49	16644.24	27080.37	26320.94	5017.29
	कुल :–	**530.00**	**80023.34**	**57575.70**	**78439.41**	**111624.56**	**107229.07**	**28993.32**

चीनी मिल में इथेनाल का उत्पादन : हरिनगर, मझौलिया, लौरिया, सुगौली, सिधवलिया, रीगा एवं नरकटियागंज चीनी मिलों द्वारा इथेनाल निर्माण किया जाता है तथा तेल कम्पनियों से एकरारनामा करते हुए उनको इथेनाल की आपूर्त्ति की जाती है।

चालू चीनी मिलों में चीनी मिलों द्वारा विगत छः वर्षों में किए गए विद्युत उत्पादन क्षमता एवं वर्षवार विद्युत के उत्पादन की विवरणी :–

क्र० सं०	चीनीमिलों का संक्षिप्त नाम	क्षमता (MW)	वर्ष 2019–20 (MW में)	वर्ष 2020–21 (MW में)	वर्ष 2021–22 (MW में)	वर्ष 2022–23 (MW में)	वर्ष 2023–24 (MW में)	वर्ष 2024–25 (MW में) दिनांक–31.01.2025 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	बगहा	6	52396.20	34726.94	37176.02	44456.01	45840.36	-
02.	हरिनगर	14.5	63547.00	46090.00	43472.00	53495.00	63738.00	26247.00
03.	नरकटियागंज	5	39427.72	29158.31	30167.22	34991.45	35321.56	31928.24
04.	सिधवलिया	10	41849.90	30198.00	25230.00	35833.00	40783.90	
05.	हसनपुर	10	36096.00	26995.00	29407.88	40653.93	28284.18	21353.05
06.	लौरिया	20	27620.00	19078.00	21172.00	37020.00	25591.00	22030.00
07.	सुगौली	20	15771.00	12318.00	14267.00	31033.00	18056.00	19895.00
08.	रीगा	3	-	-	-	-	-	-
	कुल :–	**88.50**	**276707.82**	**198564.25**	**200892.12**	**277482.39**	**257615.00**	**121453.29**

ईख मूल्य का भुगतान :

सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को उनके गन्ने का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये आवश्यक पहल के आलोक में ही पेराई सत्र 2024–25 के लिए उत्तम, सामान्य प्रभेद एवं निम्न प्रभेद के गन्ने पर 10 रू० प्रति क्वींटल की दर से बढ़ोतरी की गयी है। इस प्रकार पेराई सत्र 2024–25 में ईख के निम्न प्रभेद के लिए 310 रू०/क्विंटल, सामान्य प्रभेद के लिए 345 रू०/क्विंटल एवं उत्तम प्रभेद के लिए 365 रू०/क्विंटल के दर से गन्ना मूल्य का निर्धारण किया गया है। गत पेराई सत्र 2023–24 अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा शत–प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा की गयी घोषणा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 से ईख मूल्य की दर में तीनों प्रभेदों में 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है। वर्द्धित राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि के पश्चात् पेराई सत्र 2024–25 में ईख मूल्य का दर निम्नवत् है :–

उत्तम प्रभेद – 375/– रूपये प्रति क्विंटल
सामान्य प्रभेद – 355/– रूपये प्रति क्विंटल
निम्न प्रभेद – 320/– रूपये प्रति क्विंटल

इस प्रकार ईख मूल्य में 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि के फलस्वरूप गन्ना कृषकों को पिछले वर्ष की तुलना में 20 (बीस) रू० प्रति क्विंटल की दर से अधिक गन्ना का मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

पेराई वर्ष 2024–25 में दिनांक–31.01.2025 तक ईख क्रय एवं ईख मूल्य भुगतान की स्थिति

(आंकड़े लाख क्वींटल एवं लाख रूपये में)

क्र० सं०	चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम	ईख क्रय	ईख मूल्य भुगतेय (गत वर्ष के दर पर)	ईख मूल्य भुगतान	अवशेष	भुगतान का प्रतिशत
1	बगहा	74.76	26748.71	25326.14	1422.57	94.68
2	हरिनगर	91.00	32787.06	31708.04	1079.02	96.71
3	नरकटियागंज	67.87	24511.94	19132.72	5379.22	78.05
4	मझौलिया	39.63	14293.58	14147.10	146.48	98.98
5	गोपालगंज	35.10	12332.69	7424.20	4908.49	60.20
6	सिधवलिया	39.54	14095.60	11576.66	2518.94	82.13
7	हसनपुर	42.93	15489.22	13451.31	2037.91	86.84
8	लौरिया	26.37	9564.32	7125.78	2438.54	74.50
9	सुगौली	27.89	10088.99	7141.92	2947.07	70.79
10	रीगा	3.61	1263.13	228.42	1034.71	18.08
	Total	**448.70**	**161175.24**	**137262.29**	**23912.95**	**85.10**

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के फलस्वरूप गन्ना एवं चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो निम्नांकित विवरणी से स्पष्ट होता है:—

क्र० सं०	योजना इकाई	वर्ष 2021—2022		वर्ष 2022—2023		वर्ष 2023—2024		वर्ष 2024—2025
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	गन्ने का क्षेत्र आच्छादन लाख हे० में	2.70	2.40	2.60	2.18	2.80	2.37	2.50
2	गन्ने का उत्पादन (लाख टन में)	128.00	119.28	156.00	149.01	238.00	159.50	175.00
3	गन्ने की उत्पादकता (टन/हे० में)	60.00	49.70	60	68.51	85	67.30	70.00
4	पेराई हेतु गन्ने की उपलब्धता (लाख टन में)	60.00	47.31	59.55	66.30	77.80	67.72	75.00
5	चीनी का उत्पादन (लाख टन में)	6.30	4.56	5.50	6.27	7.60	6.88	7.88
6	चीनी प्राप्ति का प्रतिशत	11.00	9.64 (with BH) 10.84 (without BH)	11.00	9.46 (with BH) 10.72 (without BH)	11.00	10.16 (with BH) 10.77 (without BH)	11.00

चीनी मिलों एवं यूनिट के अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु राशि में वृद्धि :

कारखाने एवं यूनिट की अनुज्ञप्ति नवीकरण दर वर्ष 1978 से लागू थी, जिसमें संशोधन किया गया है। राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली—1978 की नियम—17 के उपनियम—(1) में प्रथम अनुज्ञप्ति शुल्क/अनुज्ञप्ति के नवीकरण शुल्क में विभाग द्वारा संशोधन किया गया है, जो निम्नवत् है:—

(1) कारखाने की अधिभोगी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 50,000/— रूपये।

(2) किसी कारखाने से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 50,000/– रूपये।

(3) किसी यूनिट के स्वामी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 2,000/–रूपये।

(4) यूनिट से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 2,000/–रूपये।

बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाईयों को चलाये जाने का प्रयास :

बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन बन्द पड़े 15 चीनी मिलें एवं 2 डिस्टीलरी इकाई को निजी निवेशकों के माध्यम से पुनर्जीवित करने की दिशा में विभाग द्वारा सार्थक कदम उठाये गये हैं। इस कार्य हेतु एस॰बी॰आई॰ कैप्स को वित्तीय सलाहकार के रूप में मनोनीत करते हुए उनके माध्यम से इन बंद इकाईयों के डाइगोनेस्टिक स्टडी एवं फिजिविलिटी प्रतिवेदन तैयार करवा कर इन इकाईयों के परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कार्य भी सम्पन्न कराया गया। एस॰बी॰आई॰ कैप्स द्वारा समर्पित उपरोक्त प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप इन बंद इकाईयों को निजी क्षेत्रों के निवेशकों को लीज बन्दोवस्ती के माध्यम से हस्तांतरित कर पुनर्जीवित करने हेतु पांच निविदा प्रक्रियाऐं सम्पन्न की गयी है।

प्रथम निविदा प्रक्रिया के माध्यम से लौरिया (डिस्टीलरी सहित) एवं सुगौली इकाई को एच॰पी॰सी॰एल॰ बॉयोफ्यूल्स लि0 को हस्तान्तरित किया गया। एच॰पी॰सी॰एल॰ द्वारा उपरोक्त दोनों इकाई स्थलों पर 3500 टी॰सी॰डी॰ क्षमता की चीनी मिल लगाई गई है साथ ही दोनों स्थलों पर उन्हें 60 KLPD की डिस्टीलरी एवं 20 मेगावाट क्षमता की विद्युत सह–उत्पादन इकाई स्थापित करने का भी कार्य किया गया है। इन दोनों स्थलों पर वर्णित गन्ना आधारित उद्योग स्थापित होकर उत्पादन का कार्य प्रारंभ है।

वित्तीय सलाहकार एस॰बी॰आई॰ कैप्स की सहायता से द्वितीय निविदा आमंत्रण के फलाफल के आधार पर रैयाम एवं सकरी ईकाई को मे0 तिरहुत इन्डस्ट्री लि॰ को हस्तान्तरित की गई। लीज डीड की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण सकरी एवं रैयाम इकाई हेतु निवेशक से किए गए एकरारनामा को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई राशि को जब्त कर लिया गया है। बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई सकरी एवं रैयाम में गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना हेतु इनके परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्याकंन हेतु वित्तीय सलाहकार एस0बी0आई (कैप्स) कोलकाता की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

चीनी निगम की शेष बची इकाईयों को पुनर्जीवित करने हेतु तृतीय निविदा आमंत्रित की गयी। उसके फलाफल के आधार पर मोतीपुर में गन्ना आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड को हंस्तारित किया गया है। साथ ही बिहटा में Logistic cum Industrial park स्थापित करने हेतु मेसर्स Prestine Magadh Infrastructure Pvt. Ltd. को हस्तांतरित किया गया। वर्तमान में मोतीपुर एवं बिहटा इकाई का मामला न्यायालय में लंबित है। चतुर्थ निविदा प्रक्रिया के फलाफल के आधार पर समस्तीपुर इकाई को जूट एवं फुड प्रोसेसिंग उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु मेसर्स विनसम इन्टरनेशनल लि0 कोलकाता को हस्तांतरित किया गया। निवेशक द्वारा अतिक्रमण मुक्त भूमि को लेकर आरबीट्रेशन केस दायर किया गया है। संबंधित मामला अभी न्यायालय में लंबित है।

बिहार राज्य चीनी निगम के शेष आठ इकाइयों को पुनर्जीवित करने या उन स्थलों पर अन्य उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से SBI Caps के माध्यम से पंचम निविदा आमंत्रित की गयी, पंचम निविदा में की कुल भूमि 653.07 एकड़ सफल निवेशक उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त 8 इकाईयों इसके अतिरिक्त चार इकारयों (सकरी, सुगौली, मोतीहारी एवं बिहटा में स्थ्ति शेष फार्म वैण्ड 1789.34 एकड़

फार्म लैण्ड कुल 2442.41 एकड़ भूमि को सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

प्रोत्साहन पैकेज–2014 :

(i) राज्य में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एवं प्रोत्साहन पैकेज–2006 को और आकर्षित बनाने हेतु संशोधित प्रोत्साहन पैकेज 2014 की घोषणा की गयी। इसके अन्तर्गत राज्य में न्यूनतम 2500 TCD की स्थापना एवं कार्यरत चीनी मिलों की न्यूनतम 1500 TCD की क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। इस निमित्त देय अनुदान के प्रतिशत को भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया जो अधिकतम 15 करोड़ रूपये तक है।

(ii) न्यूनतम 30 के॰एल॰पी॰डी॰ की क्षमता की नयी डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना तथा कार्यरत डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई का न्यूनतम 15 के॰एल॰पी॰डी॰ से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूँजी निवेश पर 20% अनुदान या 5 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

(iii) 10 मेगावाट की नयी सह–विद्युत इकाई की स्थापना तथा कार्यरत सह–विद्युत उत्पादन इकाई न्यूनतम 5 मेगावाट से क्षमता विस्तार पर अचल पूॅजी निवेश पर 20% अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

(iv) प्रोत्साहन पैकेज 2014 को और अधिक आकर्षित बनाने निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु नई प्रोत्साहन नीति तैयार की जा रही है।

- **घटतौली की शिकायतों** की रोक–थाम हेतु जिला पदाधिकारीगण को जिला एवं मुख्यालय स्तर पर धावा दल का गठन कर औचक निरीक्षण करने का विभाग के स्तर से निदेश दिये गये हैं।
- **डाक्यूमेन्टरी फिल्म :** डाक्यूमेन्टरी फिल्म के माध्यम से ग्राम एवं पंचायत स्तर पर किसानों को गन्ना विकास के नये तकनीक, बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत् मिलने वाले अनुदान एवं प्रोत्साहन पैकेज के तहत मिलने वाले अनुदानों से निवेशकों को अवगत कराया जा रहा है।

बिहार राज्य चीनी निगम का कार्यक्रम

बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 28 दिसम्बर 1974 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रूग्ण एवं बन्द पड़ी चीनी मिलों का संचालन करना एवं उन्हें पुनर्जीवित करना था। सुगर केन अन्डरटेकिंग्स (एक्वीजीसन) ऐक्ट 1976 एवं बिहार राज्य चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश 1985 के अन्तर्गत 15 बन्द चीनी मिलों यथा– रैयाम, लोहट, सकरी, समस्तीपुर, गोरौल, बनमंखी, वारिसलीगंज, बिहटा, गुरारू, न्यू सावन (सिवान), मोतीपुर, मीरगंज (हथुआ), सिवान, लौरिया एवं सुगौली इकाई का अधिग्रहण किया गया।

वर्ष 1996–97 से बंद चीनी मिलों के कर्मियों एवं राज्य के किसानों एवं मजदूरों के हित में वर्ष 2006 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इन निवेशकों को लीज के आधार पर हस्तांतरित किया जाय। वित्तीय सलाहकार एस0बी0आई (कैप्स) कोलकाता के मूल्यांकन के उपरांत विभाग द्वारा पांच निविदा प्रक्रियाओं के अंतर्गत कुल सात इकाइयों यथा लौरिया, सुगौली, मोतीपुर, रैयाम, सकरी, बिहटा एवं समस्तीपुर को लम्बी अवधि की लीज पर सफल निवेशक/निविदाकर्ता को हस्तांतरित किया गया। जिसमें लौरिया एवं सुगौली इकाइयों का

पुनुरूद्धार हो चुका है एवं दोनो इकाइयाँ Sugar Complex के रूप में विकसित की गई है जिनमें चीनी, बिजली एवं इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है।

द्वितीय निविदा प्रक्रिया में रैयाम एवं सकरी इकाई पर गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योग की स्थापना हेतु मे० तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि० को हस्तांतरित की गयी। लीज डीड की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त दोनों इकाई हेतु निवेशक से किये गये एकरारनामा को रद्द कर दिया गया है। बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई सकरी एवं रैयाम में गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना हेतु इनके परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्याकंन हेतु वित्तीय सलाहकार एस0बी0आई (कैप्स) कोलकाता की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

तृतीय निविदा प्रक्रिया में मोतीपुर इकाई पर गन्ना उद्योग हेतु मे० इंडियन पोटाश लि० को तथा बिहटा इकाई पर लॉजिस्टिक–सह–इण्डस्ट्रीयल पार्क की स्थापना के उद्देश्य से प्रिस्टाईन मगध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० को हस्तांरित किया गया। वर्तमान में उक्त दोनों इकाई का मामला माननीय न्यायलय में लंबित है।

चतुर्थ निविदा प्रक्रिया में समस्तीपुर इकाई पर जूट एवं फुड प्रोसेसिंग यूनिट (कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स सहित) की स्थापना हेतु मेसर्स विनमस इटरनेशनल कोलकाता से एकरारनामा एवं लीज डीड दिनांक–05.03.2021 को हस्ताक्षरित किया गया है। निवेशक द्वारा अतिक्रमण मुक्त भूमि को लेकर आरबीट्रेशन केस दायर किया गया है। संबंधित मामला अभी न्यायालय में लंबित है।

पंचम निविदा प्रक्रिया में कोई भी निवेशक सफल नहीं हो पाये। निगम की शेष बची आठ इकाइयो यथा हथुआ (डिस्टीलरी सहित), वारिसलीगंज, गुरारू, गोरौल, सीवान, न्यू सावन, लोहट एवं बनमंखी की कुल भूमि 653.07 एकड़ तथा इसके अतिरिक्त चार इकारियो (सकरी, सुगौली, मोतिहारी एवं बिहटा) में स्थित शेष फार्मलैण्ड 1789.34 एकड़ कुल 2442 .41 एकड़ भूमि को सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना (हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

क्षेत्रीय विकास परिषद् का कार्यकलाप

बिहार ईख अधिनियम की धारा–7 के अनुसार प्रत्येक चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय विकास परिषद् का गठन तीन वर्षो की अवधि के लिए किया जाता है।

बिहार ईख अधिनियम की धारा–8 में परिषद् का कार्य निर्धारित है जिसके अंतर्गत चीनी मिल क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करना, गन्ना की ढुलाई के लिए सड़क का सुधार करना, उन्न्त किस्म के ईख बीज वितरण करवाना, ईख फसल पर कीट व्याधि के प्रकोप की रोक–थाम के लिए कीटनाशक दवा का वितरण करवाना आदि है।

राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2022–23 2023–24 एवं 2024–25 में क्रय किये गये गन्ने पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1.80 (एक दशमलव आठ शून्य) प्रतिशत से घटाकर 0.20 (शून्य दशमलव दो शून्य) प्रतिशत के रूप में पुनर्निधारण करने की स्वीकृति प्रदान है।

वर्ष 2024–25 में निम्न प्रकार से क्षेत्रीय विकास परिषदों का पुर्नगठन किया गया है:–

क्रमांक	क्षेत्रीय विकास परिषद का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	बगहा	2092 / 09.12.2024
2	हरखुआ	2093 / 09.12.2024
3	लौरिया	2094 / 09.12.2024
4	नरकटियागंज	2152 / 23.12.2024
5	रामनगर अंचल बेतिया	2155 / 23.12.2024
6	हसनपुर	18 / 07.01.2025
7	सासामुसा	19 / 07.01.2025
8	सुगौली	177 / 25.02.2025
9	सिधवलिया	178 / 25.02.2025

वित्तीय वर्ष 2023–2024 एवं 2024–2025 का गैर योजना एवं योजनामद में उपबंध एवं व्यय विवरण।

(रू0 में)

क0	बजट शीर्ष मांग संख्या– 45	2023–2024		2024–2025	
		उपबंध	व्यय	उपबंध	व्यय अनुमानित
1	2	3	4	5	6
गैर योजना					
1	मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघुशीर्ष – 108–वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45, उप शीर्ष – 0002–ईख की खेती–विपत्र कोड–45–2401001080002	94007510	36610020	144597000	144597000
2	3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–090 सचिवालय माँग संख्या –45–उपशीर्ष –0002 गन्ना उद्योग विभाग विपत्र कोड–45– 3451000900002	19010111	13224222	31176000	31176000
3	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय जिला । विपत्र कोड–45–2852082010002	25150687	18952374	38359000	38359000
4	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय विपत्र कोड–45–2852082010001	95026891	89743782	46802000	46802000
	योग (1 से 4) :–	**233195199**	**158530398**	**260934000**	**260934000**
योजना					
5	मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड–45–2401001080109 राज्य योजना स्कीम कोड–SUG –5047	332000000	147083883	310952000	310952000

10	मुख्यशीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म– उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जाति के लिए– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड–45– 2401007890108–राज्य योजना स्कीम कोड–SUG–5046	64000000	7500222	60160000	60160000
	मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–796–जनजाति क्षेत्रीय– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0129–ईख विकास–विपत्र कोड–45– 24010007960129–योजना	4000000	1278011	4888000	4888000
6	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45– 2852082010103 राज्य योजना स्कीम कोड– SUG –5048	498000000	230733124	413500000	413500000
7	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45– 2852087890101 राज्य योजना स्कीम कोड– SUG–5048	96000000	0	80000000	80000000
8	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796–जनजातिये क्षेत्र उप योजना–माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45– 2852087960101–राज्य योजना स्कीम कोड– SUG–5048	6000000	0	6500000	6500000
9	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 04 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852082010104	0	0	102548000	102548000
10	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 02 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852087890102	0	0	19840000	19840000
11	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852087960103	0	0	1612000	1612000
	योग (5 से 11) :–	**102000000**	**386595240**	**1000000000**	**1000000000**

संगठनात्मक ढांचा

मंत्रालय

श्री कृष्णनन्दन पासवान
मंत्री

श्री बी० कार्तिकेय धनजी, भा0 प्र0 से0
सचिव

निदेशालय स्तर पर

श्री अनिल कुमार झा, भा॰प्र॰से॰
ईखायुक्त, बिहार (विभागाध्यक्ष)

रेगुलेटरी प्रभाग

मुख्यालय
श्री जय प्रकाश नारायण सिंह
संयुक्त ईखायुक्त (बिहार ईख सेवा)

1. **सहायक ईखायुक्त (मु०)**
श्री वेदव्रत कुमार
(अति0 प्रभार)

विकास प्रभाग

मुख्यालय
संयुक्त निदेशक (बि0प्र0से0) रिक्त
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
संयुक्त निदेशक, ईख विकास (बि०कृ०से०)
(अति0 प्रभार)

1. **सहायक निदेशक, शष्य गुड़ विकास मु०**
रिक्त

2. **सहायक निदेशक शष्य (मु०)**
रिक्त

3. **सहायक निदेशक, मु0**
रिक्त

सरकार स्तर पर

(रिक्त)
संयुक्त सचिव

श्रीमती पूनम कुमारी
उप सचिव

श्रीमती प्रीति सिन्हा
विशेष कार्य पदाधिकारी

श्री अरूण कुमार
अवर सचिव

क्षेत्रीय कार्यालय

रेगुलेटरी प्रभाग

	श्री रेमन्त झा, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर। (अति० प्रभार)
1	**श्री सौरभ सिन्हा** ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। (अति० प्रभार)
2	**श्री राहुल कुमार,** ईख पदाधिकारी, गोपालगंज। (अति0 प्रभार)
3	**श्री राहुल कुमार,** विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज (अति0 प्रभार)
4	**श्री पुष्कर राज,** ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर। (अति0 प्रभार)
5	**श्री वेदव्रत कुमार,** विशेष ईख पदाधिकारी, पटना
6	**श्री रेमन्त झा,** ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया।
7	**श्री श्रीराम सिंह,** ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया।
8	**श्री पुष्कर राज,** ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय
9	**श्री सौरभ सिन्हा,** ईख पदाधिकारी, पूर्णिया।
10	**श्री कुमार कानन,** ईख पदाधिकारी, सिवान।
11	**श्री राहुल कुमार,** ईख पदाधिकारी, मोतिहारी

विकास प्रभाग

	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, उप निदेशक, ईख विकास, पटना
1	**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह,** सहायक निदेशक, पटना (अति0 प्रभार)
2	**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह** सहायक निदेशक, आरा (अति0 प्रभार)
3	**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह,** सहायक निदेशक, जमुई (अति0 प्रभार)
4	**श्री कैलाश नाथ** सहायक निदेशक, गया
5	**श्री महेन्द्र प्रताप सिंह,** सहायक निदेशक, भागलपुर (अति0 प्रभार)

	श्री अरंविद कुमार उप निदेशक, पूसा, समस्तीपुर
1	**श्री पुष्कर राज** सहायक निदेशक, दरभंगा (अति० प्रभार)
2	**श्री कैलाश नाथ** सहायक निदेशक, समस्तीपुर। (अति0 प्रभार)
3	**श्री कैलाश नाथ** सहायक निदेशक, सीतामढ़ी (अति0 प्रभार)
4	**श्री सौरभ सिन्हा,** सहायक निदेशक, मुजफ्फरपुर (अति0 प्रभार)
5	**श्री कैलाश नाथ** सहायक निदेशक, सहरसा। (अति0 प्रभार)
6	**श्री कैलाश नाथ** सहायक निदेशक, पूर्णियाँ (अति0 प्रभार)

	श्री राहुल कुमार उप निदेशक, मोतिहारी (अति0 प्रभार)
1	**श्री रेमन्त झा** सहायक निदेशक, बेतिया। (अति0 प्रभार)
2	**श्री श्रीराम सिंह** सहायक निदेशक, बगहा। (अति0 प्रभार)
3	**श्री राहुल कुमार** सहायक निदेशक, मोतिहारी। (अति0 प्रभार)
4	**श्री कुमार कानन,** सहायक निदेशक, सिवान (अति0 प्रभार)
5	**श्री राहुल कुमार,** सहायक निदेशक, गोपालगंज (अति0 प्रभार)

विभागीय संगठन

I. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या–141 दिनांक–15.01.2006 द्वारा ''गन्ना उद्योग विभाग'' को एक स्वतंत्र विभाग घोषित किया गया है। इस विभाग के निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं :–

1) ईख अनुसंधान और विकास,
2) ईख आपूर्त्ति, खरीद एवं वितरण का विनियमन,
3) ईख खरीद कर एवं ईख कमीशन का निर्धारण तथा वसूली,
4) चीनी मिलों पर नियंत्रण,
5) बिहार राज्य चीनी निगम का नियंत्रण,
6) गुड़/खांडसारी उद्योग से सम्बन्धित कार्य,
7) ईख विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण,
8) ईख विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

II. विभाग में सरकार एवं निदेशालय स्तर पर निम्नांकित पदाधिकारी कार्यरत हैं :–

1) सरकार के सचिव	–	श्री बी० कार्तिकेय धनजी, भा०प्र०से०
2) ईखायुक्त	–	श्री अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
3) संयुक्त सचिव	–	रिक्त
4) उप सचिव	–	श्रीमती पूनम कुमारी, बि०प्र०से०
5) विशेष कार्य पदाधिकारी	–	श्रीमती प्रीति सिन्हा, बि०प्र०से०
6) संयुक्त निदेशक, ईख विकास	–	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, बि०कृ०से०
7) संयुक्त ईखायुक्त	–	श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, बि०ई०से०
8) सहायक निदेशक, ईख विकास, मुख्यालय	–	रिक्त
9) अवर सचिव	–	श्री अरूण कुमार
10) सहायक ईखायुक्त मुख्यालय	–	श्री वेदव्रत कुमार, बि०ई०से०

III. विभाग में मुख्यतः दो प्रभाग हैं :–

(1) रेगुलेटरी प्रभाग और
(2) गन्ना विकास प्रभाग

1. रेगुलेटरी प्रभाग से सम्बन्धित कार्य : राज्य में स्थापित चीनी मिलों के सुचारू रूप से संचालन के लिए पर्याप्त गन्ने की व्यवस्था और प्रत्येक चीनी मिल के लिए क्षेत्र आरक्षण, गन्ना कास्तकारों के हित का संरक्षण यथा उनके गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान, गन्ने की माप–तौल का पर्याप्त निरीक्षण, गन्ना क्रय पर क्रय कर का अधिरोपण तथा उसकी समय पर वसूली, कमीशन का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षेत्रीय विकास के कार्यो को

सम्पादित किया जाता है। ये सारे कार्य बिहार ऊख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत होते हैं ।

इस विभाग के अन्तर्गत एक उपक्रम **बिहार राज्य चीनी निगम लि0, पटना** है, जो सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का कार्य संचालन एवं प्रबंधन करता है। हालांकि सभी सरकारी चीनी मिल वर्ष 1997 के बाद बंद हो गये हैं।

2. गन्ना विकास से सम्बन्धित कार्य : चीनी मिल क्षेत्रों तथा गैर चीनी मिल क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना का विकास और उत्पादन अधिक हो, इसके लिए विभिन्न ईख विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन गन्ना विकास प्रभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष के रूप में ईख आयुक्त, बिहार पदस्थापित होते हैं। कार्य के निष्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर रेगुलेटरी एवं विकास प्रभाग के पदाधिकारी पदस्थापित हैं ।

रेगुलेटरी प्रभाग (मुख्यालय स्तर)

(रेगुलेटरी प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	ईखायुक्त, बिहार, पटना	1	1	0	
2	संयुक्त ईख आयुक्त, बिहार, पटना	1	1	0	
3	सहायक ईख आयुक्त, बिहार, पटना	1	0	1	
4	प्रशाखा पदाधिकारी	2	0	2	
5	निजी सहायक/आशुलिपिक/आप्त सचिव	6	3	3	
6	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	12	6	6	
7	सांख्यिकी सहायक	1	0	1	
8	उच्च वर्गीय लिपिक	2	2	0	
9	अभिलेखवाह	1	0	1	
10	चालक	1	0	1	
11	निम्नवर्गीय लिपिक	1	0	1	
12	अनुसेवक	16	4	12	
	योग–	**45**	**17**	**28**	

विकास प्रभाग (मुख्यालय स्तर)
(विकास प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका)

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	संयुक्त निदेशक (विकास)	1	0	1
2	सहायक निदेशक मु0	1	0	1
3	गुड़ विकास पदाधिकारी	1	0	1
4	योजना प्रसार पदाधिकारी	1	0	1
5	तकनीकी सहायक(कृषि स्नातक)	2	0	2
6	ईखायुक्त के सचिव	1	0	1
7	सांख्यिकी पदाधिकारी	1	0	1
8	प्रशाखा पदाधिकारी	2	1	1
9	संयुक्त निदेशक (विकास) के निजी सहायक	1	0	1

10	सहायक	4	1	3
11	वरीय सांख्यिकी सहायक	1	0	1
12	निम्न वर्गीय लिपिक	1	0	1
13	चालक	2	0	2
14	अनुसेवक	2	0	2
	योग–	**21**	**02**	**19**

रेगुलेटरी प्रभाग (क्षेत्रीय कार्यालय)

रेगुलेटरी प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका

कमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	सहायक ईख आयुक्त उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर	1	0	1
2	विशेष ईख पदाधिकारी	2	1	1
3	ईख पदाधिकारी	9	7	2
4	आशुटंकक	1	0	1
5	कार्यदर्शक	2	0	2
6	व्यवस्थापक	2	0	2
7	अनुसेवक	24	13	11
	योग–	**41**	**21**	**20**

विकास प्रभाग (क्षेत्रीय कार्यालय)

विकास प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका

कमांक	**पदनाम**	**स्वीकृत बल**	**कार्यरत बल**	**रिक्ति**
1	उप निदेशक	10	2	8
2	सहायक निदेशक	16	0	16
3	ईख परियोजना पदाधिकारी	41	0	41
4	सहायक ईख परियोजना पदाधिकारी	22	0	22
5	ईख प्रसार पदाधिकारी	87	0	87
6	ईख पर्यवेक्षक (कृषि स्नातक)	2	0	2
7	जनसेवक	220	13	207
8	क्षेत्र कीट विद्	3	0	3
9	क्षेत्र व्याधि विद्	3	0	3
10	सम्पर्क पदाधिकारी (कृषि स्नातक)	1	0	1
11	पौधा संरक्षण निरीक्षक	14	0	14
12	कनीय अनुसंधान सहायक	2	0	2
13	सहायक अनुसंधान पदाधिकारी (कृषि स्नातक)	2	0	2
14	सांख्यिकी संगणक	3	0	3
15	आंशु टंकक	3	1	2

16	प्रधान लिपिक (रेगुलेटरी प्रभाग एवं विकास प्रभाग हेतु)	10	8	2
17	उच्चवर्गीय लिपिक (रेगुलेटरी प्रभाग एवं विकास प्रभाग हेतु)	20	12	8
18	निम्नवर्गीय लिपिक (रेगुलेटरी प्रभाग एवं विकास प्रभाग हेतु)	51	27	24
19	बीज उत्पादन सहायक	52	0	52
20	गतिशील कर्मचारी	29	0	29
21	मेकेनिक–सह–बिजली मिस्त्री	11	0	11
22	जीप चालक	12	4	8
23	ट्रैक्टर चालक	7	0	7
24	खलासी	13	0	13
25	कार्यालय परिचारी	79	24	55
26	प्रयोगशाला परिचारक	2	0	2
27	कामदार	405	11	394
	योग–	**1120**	**102**	**1018**

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्रस्तावित योजना का लक्ष्य

क्र0सं	बजट शीर्ष मांग संख्या– 45	2025–26 उपबंध (रू० में)
1	2	3
	गैर योजना–	
1	मुख्यशीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्यशीर्ष–00 – लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें माँग संख्या–45 – उपशीर्ष–0002–ईख की खेती विपत्र कोड–एन0 2401001080002	128059000
2	मुख्यशीर्ष 3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–090 सचिवालय माँग संख्या–45 – उपशीर्ष–0002 गन्ना उद्योग विभाग विपत्र कोड–एन0 3451000900002	28740000
3	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय जिला । विपत्र कोड–एन0 2852082010002	41103000
4	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय विपत्र कोड–एन0 2852082010001	39708700
	योग :–	**237610700**
	योजना–	
6	(i) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड–पी0 2401001080109 राज्य योजना	500335000
	(ii) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0108 ईख विकास विपत्र कोड–पी0 2401007890108 राज्य योजना	96800000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0129 ईख विकास विपत्र कोड–पी0 2401007960129 राज्य योजना	7865000
7	(i) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी0 2852082010103 राज्य योजना	803017000
	(ii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी0 2852087890101 राज्य योजना	155360000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी0 2852087960101 राज्य योजना	12623000
8	(i) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 04 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852082010104	88548000

	(ii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 02 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852087890102	19840000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 गुड़ विकास कार्यक्रम विपत्र कोड–45–2852087960103	1612000
9	*मुख्यशीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य भवन–लघु शीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0147–चीनी मिल के चाहरदिवारी का निर्माण विपत्र कोड–03 . 410560000510147 के विषय शीर्ष 53– मुख्य कार्य (0147–53–01 मुख्य निमार्ण कार्य)*	14000000
	योग :–	1700000000
	कुल योग :–	**1937610700**

----------------------x--------------------